बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना — 800001

विज्ञापन सं.— 06/2022, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय, पटना में सहायक के कुल 44 (चौवालीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 44 (चौवालीस) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है:—

			,
1	7		۰
ι	ч	r,	

क्र•सं•	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	23	06
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01
3.	अनुसूचित जाति	07	03
4.	अनुसूचित जनजाति	. 00	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	08	03
6.	पिछड़ा वर्ग	01	00
7.	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	01	00
	कुल	44	13

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2526, दिनांक—	
	18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों	
	जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/	01
	नतीनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	

(ग)

	गजन अघिकार अघिनियम—2016 के आलोक में निःशक्तत आरक्षित कुल पदों की संख्या	ा से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार)
(i)	दृष्टि दिव्यांगता (VI)	00
(ii)	मूक बधिर दिव्यांगता (DD)	01
(iii)	चलन दिव्यांगता (OH)	01
(iv)	मनोविकार / बहुदिव्यांग	00

नोट:-विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- 2. वेतनमान:-वेतन स्तर-7 (44900-142400/-)
- 3. <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :-- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्रीधारक होना अनिवार्य है।
- 4. <u>उम्र सीमा</u> दिनांक— 01.08.2022 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)— 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)—40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)— 42 वर्ष।
 - (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 212, दिनांक— 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक— 01.08.2019 से 01.08.2022 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।
 - (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं। सामान्य प्रशासन विमाग के पत्रांक—524, दिनांक—13.01.2022 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरान्त अधिकतम तीन अवसरों की सीमा होगी।
 - (iii)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—962, दिनांक—22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण--पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो।
 - (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 2447, दिनांक— 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अविध के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्सबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। 5. <u>चयन प्रक्रिया</u>:— परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गयी सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलत होने से वंचित किया जा सकता है।

A. प्रारंभिक परीक्षा:-

- (i) प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:— (क)सामान्य अध्ययन— प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ख)सामान्य विज्ञान एवं गणित- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ग)मानसिक क्षमता जाँच- प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।
- (ii) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।
- (iii) सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी होगा।
- (iv) प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खण्ड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम तीन पुस्तक (i) एक सामान्य ज्ञान के लिए (ii) एक गणित के लिए एवं (iii) एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। पुस्तकों में N.C.E.R.T/B.S.E.B/I.C.S.E एवं अन्य बोर्ड के Text Book ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाईड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में प्रस्तकों का आदान—प्रदान पूर्णतया वर्जित है।
- (v) प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम अधोलिखित होगा:-
- खण्ड (क):— सामान्य अध्ययन:— इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस—पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन—प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के सम्बन्ध में यथासम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—
 - (i) सम—सामयिक विषयः— वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल—खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।
 - (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:— पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।
- खण्ड (ख):—सामान्य विज्ञान एवं गणित:— इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं—
 - (i) सामान्य विज्ञानः— भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।
 - (ii) गणितः— संख्या पद्धित से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।
- खण्ड (ग):—मानसिक क्षमता जाँच:— इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—

सादृश्य, समानता एवं मिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

- B. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक— 16.07.2007 एवं पत्रांक—6706, दिनांक— 01.10.2008 के आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- C. मुख्य परीक्षा- मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे:-
 - (क) प्रश्न पत्र 1 : विषय- सामान्य हिन्दी
 - (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
 - (ii) हिन्दी विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय, सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्नपत्र—2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे।
 - (iii) प्रश्न पत्र-1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी होगा।

- (iv) इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या- 100 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2ः विषय-सामान्य ज्ञान

- (i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।
- (ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी:--
 - (क) सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
 - (ग) मानसिक क्षमता जाँच प्रश्नों की संख्या 50 हागी।
- (iii) सामान्य ज्ञान मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 (एक) अंक होगा।
- (v) परीक्षा की अवधि 2 घन्टा 15 मिनट की होगी।
- D. प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अविध तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से विचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

E. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम:--'

प्रश्न पत्र-1 : विषय-सामान्य हिन्दी

इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक (सेकेन्डरी) स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न, हिन्दी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोधशक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे। जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द/विपरीतार्थक शब्द, हिन्दी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिन्दी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे।

प्रश्न पत्र-2 : विषय-सामान्य ज्ञान

- खण्ड (क):— सामान्य अध्ययन:— इसमें प्रश्नों का उदेश्य अभ्यर्थी के आस—पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन—प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें निम्नांकित के संबंध में यथा संभव प्रश्न पूछे जा संकते हैं:—
 - (i) सम—सामयिक विषयः— वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, खेल— खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ इत्यादि।
 - (ii) भारत और उसके पड़ोसी देश:— पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलनें, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन।
- खण्ड (ख):—सामान्य विज्ञान एवं गणितः— इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से सम्बन्धित यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं—
 - (i) सामान्य विज्ञानः— भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल।
 - (ii) गणितः— संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।
- खण्ड (ग):—मानसिक क्षमता जाँचः— इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर–शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

F. मेधा सूची— प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिये चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस गुनी होगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

6. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए** स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (III)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:--
 - (a) जाति प्रमाण–पत्र
 - (b)स्थायी निवास / मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित	कोटि	निम्नवत	쿥	·
जारादारा	47110	ואפוריויו	· G	

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	ВС	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(v)(क)सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षेतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बह्दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य स्विधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-। में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-॥ में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2342, दिनांक— 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका—1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या— 2622, दिनांक— 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका-1 (क) 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -। (प्रपत्र -।) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेत् वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक—16144, दिनांक—28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति / प्रोन्नित / नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- नोट:—(1) ऑनलाईन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाम देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- नोटः—(2) आयोग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण—पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेत् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
 - 1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
 - 2. स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत)।
 - 3. स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - 4. पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
 - 5. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) (दावा करने की स्थिति में)।
 - 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।
 - 7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 8. बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
 - 9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या—2622, दिनांक—26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—2022 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण—पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - 10. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - 11. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची—II में शपथ पत्र।
 - 12. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
 - 13. भतपर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छुट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
 - 14. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अम्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण—पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
 - 15. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
 - 16. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।
- 17. लिखित परीक्षा के लिए मरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति। उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रदद् होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- ७ शल्कः –
- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 600 /- (छः सौ) रूपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रूपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रूपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 600 / - (छ: सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और मविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी महिला निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहिंत किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी महिला निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्द पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक07.09.2022
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक-30.09.2022

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सूस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (A) रिजस्ट्रेशन के बाद रिजस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रिजस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता / पित / माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।
- (B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक--07.10.2022 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:--

- (i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:-
- (क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता / पिता / पिता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर-रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाम लेते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर--रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रह कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेगें। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। (iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार / परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:--

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का	(क) ऑनलाईन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने
नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग	के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit)
(Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि,	के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक,	(ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये
स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता,	डाटा को अंतिम समझा जायेगा।
स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:- फोटो,	(ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण
हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में	पत्र / कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी
परिवर्तन / सुधार (Edit) के संबंध में।	उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
मोबाईल / ई-मेल में परिवर्तन / सुधार (Edit)	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव
के संबंध में।	नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं
	किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में
संबंध में।	आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को
	रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल / ई-मेल से दूसरा
	Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके
	आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व
	में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया
	जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी
	अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी
	स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए
	उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की
में।	स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए
	उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

- (iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई,डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाईन आवेदन की कंडिका—3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अम्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xi) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये <u>ऑनलाईन</u> आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी

समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

(xiv) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण—पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :--

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबिमट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- 10. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- 11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- 12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- 13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थित में वापस नहीं किया जायेगा।
- 14. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकृल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।